दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना

1—उद्देश्यः—

राज्य की लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या 39753 गॉवों में निवास करती है । ग्रामीण विकास की अनेक योजनाओं के उपरान्त भी अधिकाशं ग्रामों में कुछ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, शुद्व पेयजल, बिजली, सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं आदि मूलभूत सुविधाओं की मांग निरन्तर बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का पलायन शहरों की ओर होने लगा है। ग्रामीण विकास की वर्तमान अवधारणा पर पुनःविचार कर गॉवों के समग्र विकास की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वहां के लोगों को आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध हो सके एवं उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके । उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने ''दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना'' प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है।

2—चयनः—

राज्य के सभी छोटे—बड़े ग्रामो में सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत सुविधाए एक साथ उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। प्रथम चरण में राज्य सरकार ने वर्ष 2006—07 में 50 गांवों को '' दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम'' बनाने का निर्णय लिया है । इस प्रकार राज्य में प्रति 10 लाख की आबादी पर एक ग्राम का चयन किया जाना है । ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ऐसे ग्राम जिनकी जनसंख्या 3000 अथवा इससे अधिक हो, ''दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम'' के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगें । इनका चयन ग्रामीणों की मांग एवं सहभागीता के आधार पर किया जावेगा ।

उपरोक्तानुसार पात्रता वाली इच्छुक ग्राम पंचायते अपनी ग्राम सभा में निम्न बिन्दुओं पर सर्व—सम्मति से प्रस्ताव पारित कर आवेदन पत्र मय संकल्प जिला परिषद को भिजवाा सकेगी :

2.1—ग्राम में विवादों को स्थानिय स्तर पर आपसी समझोते से यथा—सम्भव निपटारा करने का संकल्प ।

2.2—चरागाह भूमि पर उसके एक भाग, जो एक चौथाई से कम न हो पशुओं की खुली चराई पर प्रतिबन्ध लगाना , उसमें चारा विकास एवं वृक्षारोपण करना ।

2.3—ग्राम के रास्तों , आबादी भूमि एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सम्पति के अतिक्रमणों को तीन माह में हटवाना ।

2.4—पानी की प्रत्येक बूँद की बचत के लिए घरों में एवं सामुदायिक सुविधाओं में जल संग्रहण को अपनाना ।

2.5—ग्राम के प्रत्येक परिवार द्वारा प्रति माह दो दिवस का श्रमदान देना अथवा रू.150 प्रति माह देना, जो ग्राम की विकास योजनाओं में काम में ली जा सकें ।

2.6— वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ।

2.7—बाल विवाह एवं मृत्यु भोज की कुप्रथा को रोकना ।

2.8—परिवार नियोजन को अपनाते हुए दो बच्चों तक ही परिवार को सीमित रखने का संकल्प ।

2.9— 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना ।

2.10—सभी बच्चों को टीकाकरण करवाना ।

2.11—संस्थागत प्रसव को अपनाना या ग्राम की प्रशिक्षित दाई से प्रसव करवाना।

2.12—सभी पात्र महिलाओं एवं बच्चों को आगंनबाड़ी केन्द्रों पर भेजकर आवश्यक पोषाहार एवं सेवाये दिलवाना ।

2.13—आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने का संकल्प जिसमें वर्मि कम्पोस्ट, उन्नत बीज , उन्नत पौध तैयार करना व पानी का कुशलतम उपयोग हेतु फॅवारा सिंचाई , ड्रिप सिंचाई पद्वति को अपनाना ।

2.14—भविष्य में ग्राम की आबादी विस्तार के लिये ''मास्टर —प्लान'' तैयार कर उसी के अनुरूप विकास कराना ।

आवेदन पत्र एवं ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप परिशिष्ठ—''अ'' पर संलग्न है ।

3—चयन में प्राथमिकताः—

पात्रता वाले ग्रामों के आवेदन पत्र जिला परिषद को प्राप्त होने पर उनकी प्राथमिकताऐं निम्न बिन्दुओं के आधार पर तय की जावेगी :—

3.1—गत पंचायत चुनावों में निर्विरोध चुनी गई ग्राम पंचायत वाले ग्राम।

3.2—जिन ग्रामों मे गत तीन वर्षो में कोई एफ.आई.आर दर्ज नही हुई हो या न्यूनतम दर्ज हुई हो।

3.3—जिला परिषद की साधारण सभा में सर्व सम्मति से लिया गया निर्णय ।

उपरोक्तानुसार पात्र ग्रामों की प्राथमिकता की सूची जिला परिषद द्वारा राज्य सरकार को अन्तिम चयन हेतु भिजवाई जावेगी । राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात् '' दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्रामों'' की स्वीकृति पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जावेगी ।

4–योजना का प्रचार प्रसार :–

सभी गांवों की ग्राम सभाओं में इस योजना का सघन प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जावेगा ।

5–आदर्श ग्राम की रूपरेखाः–

आदर्श ग्राम के लिये चयनित ग्राम का समग्र विकास कराने की दृष्टि से निम्नांकित आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाऐं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जावेगा :–

6–आर्थिक आधारभूत सुविधाऐंः–

6.1–चयनित ग्राम के आस पास के ग्रामों से पक्की सड़को द्वारा सम्पर्क।

6.2–चयनित ग्राम का विद्युतीकरण।

6.3–सार्वजनिक परिवहन सुविधा 2 किलोमिटर क्षेत्रमें ।

6.4–कृषि आदान एवं ऋण सुविधाएं ।

6.5–दूरभाष सुविधाएं ।

6.6–ई–कियोस्क, ई–चौपाल।

6.7–वर्षा जल संचय ।

6.8–जल ग्रहण विकास ।

6.9–चरागाह विकास ।

6.10–स्थानीय उपज पर आधारित लघु उद्योग , कुटीर उद्योग एवं हैण्डीक्राफ्ट को प्रोत्साहन ।

6.11–कृषि उपज आधारित व्यापार को प्रोत्साहन ।

6.12–क्षमता निर्माण हेतु तकनीकी प्रशिक्षण ।

6.13–स्वयं सहायता समूह, विशेष रुप से महिला समूह के माध्यम से आर्थिक उत्पादन को भढावा ।

7–सामाजिक आधारभूत सुविधाऐं :–

7.1–प्राथमिक शाला/माध्यमिक विधालय ।

7.2–आंगनबाड़ी केन्द्र ।

7.3–शुद्व पेयजल ।

7.4– गंदे पानी की निकासी व्यवस्था ।

7.5–चौपाल ।
7.6–खेल के मैदान ।
7.7–घरेलू कचरा डालने एवं गाडने के लिए स्थान का निर्धारण।
7.8–स्वच्छता (घरेलू शुलभ शौवालय , सामुदायिक शौचालय एवं इनकी सफाई व्यवस्था)
7.9–उचित मूल्य की दुकान ।
7.10–ए.एन.एम./प्रशिक्षित दाई ।
7.11–कृत्रिम गर्भाधान व मूल पशु स्वास्थ्य हेतु गोपाल ।
7.12–गॉव में उघान ।
7.13–सौर ऊर्जा की स्ट्रीट लाईट ।
7.14–पोषण सुधार हेतु घरेलू सब्जी उत्पादन ।
7.15–पुस्तकालय ।
7.16–छत के पानी हेतु घरेलू टांका ।
7.17–प्रत्येक घर में निधूर्म चुल्हा ।
7.18–कम से कम 30% घरों में गोबर गैस प्लान्ट ।
7.19–बी0पी0एल के सभी परिवारों को आर्थिक सहायता, राजकीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण , परिवार के एक सदस्य को 100 दिवस का रोजागार एंव उनके लिए खाध्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देख–भाल व शिक्षा ।
7.20–ग्राम की विरासत एंव संस्कृति की रक्षा को बनाये रखने के लिए धार्मिक स्थलों पर्वो, त्यौहारो एंव स्थानिय मेलों एंव स्थानिय खेलो को सुरक्षित रखना।
7.21–भविष्य में ग्राम का विकास मास्टर प्लान के अनुसार कराना ।
7.22–हड्डारोडी का निश्चित स्थान पर विकास ।

8–विकास प्लान तैयार करना :–

ग्राम में विद्यमान आधारभूत सुविधाओं एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की पहचान कर, इसकी कमी की पूर्ति के लिए तीन वर्षो का विकास प्लान तैयार कराया जावेगा । ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनुभवी स्वयं सेवी संस्था अथवा अच्छी साख वाली संस्था के माध्यम से ग्राम का विकास प्लान, ग्रामीणो के सहयोग, पंचायती राज के जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर, ग्राम सेवक ग्राम स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों , विकास अधिकारी आदि के सहयोग से यह विकास प्लान वर्ष 2006–09 तैयार किया जावेगा।

विकास प्लान में आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं की वर्तमान स्थिति , इनकी आवश्यकता, इनकी कमी को पूरा करने हेतु निश्चित लक्ष्य एवं इनकी प्राप्ति के लिए समयबद्व कार्यक्रम बनाया जावेगा । वर्तमान में चल रही योजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति के लिए समयबद्व कार्यक्रम आदि को दर्शाया जावेगा। प्लान में प्रस्तावित निर्माण कार्यो के एस्टीमेट भी बनाकर संलग्न करने होगे। प्रस्तावित प्लान में शामिल गतिविधियो के लिये वर्तमान योजनाओं से उपलब्ध होनेवाली राशि एंव शेष आवश्यक राशि को दर्शाया जावेगा । उपरोक्तानुसार ग्राम का समग्र विकास प्लान तैयार किया जावेगा तथा इसका अनुमोदन ग्राम सभा में करवाकर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा जावेगा । राज्य स्तरीय समिति से अनुमोदित होने पर , वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विकास प्लान की प्रशासनिक , वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति पंचायती राज विभाग द्वारा जारी की जावेगी ।

9—मास्टर प्लान तैयार करनाः—

अनुभवी संस्था से ग्राम का मास्टर प्लान निम्नांकित बिन्दुओं के मध्यनजर तैयार कराया जावेगा :—

9.1—वर्तमान बसावट की स्थिति के अनुसार मैपिगं ।

9.2—आगामी 25 वर्षो के विस्तार को ध्यान में रखते हुए पर्सपेक्टिव प्लान।

9.3—ग्राम की धरोहर को बनाये रखना ।

9.4—वर्तमान सामुदायिक सुविधाओं में सुधार/विस्तार को अंकित करना ।

ग्रामीणों के सहयोग से उपरोक्तानुसार तैयार किये गये मास्टर प्लान को अनुमोदन ग्राम सभा में कराना आवश्यक है ।

10—ग्रामीण समुदाय की जागरूकता, सहभागीता (**IEC**):—

चयनित ग्राम को आदर्श बनाने की प्रक्रिया के साथ—साथ ग्रामीण समुदाय में जागरूकता , सहभागीता अत्यन्त आवश्यक है। सामाजिक बदलाव के लिए ग्रामीणों के रहन सहन , स्वच्छता, सफाई,जल बचत ,परिवार कल्याण, बाल विवाह , मृत्यु भोज आदि विभिन्न गतिविधियों पर प्रारम्भ से ध्यानदेकर सघन क्रियान्विति की आवश्यकता है । यह कार्य एक स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाना प्रस्तावित है ।

11– दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम की क्रियान्विति:–

दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम की क्रियान्विति के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम विकास समिति, जिला स्तर एवं राज्य स्तर की समितियों का गठन निम्नानुसार किया जावेगा:–

12–ग्राम विकास समिति:–

ग्राम स्तर पर योजना की क्रियान्विति के लिए ग्राम सभा द्वारा एक ग्राम विकास समिति का गठन किया जावेगा । वहा कार्यरत स्वमं सेवी संस्था द्वारा तकनीकी मार्ग दर्शन इस समिति को दिया जावेगा । ग्राम पंचायत का सरपंच इस समिति का अध्यक्ष होगा तथा सदस्य सचिव ग्राम सेवक होगा । समिति के अन्य 8–10 सदस्यों का चयन ग्राम सभा में किया जावेगा । विकास कार्यो एवं गतिविधियों का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक त्रेमासिक ग्राम सभा में किया जावेगा ।

13–जिला स्तरीय समिति :–

दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना की क्रियान्विति एवं मोनीटरिगं हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा :–

जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य सचिव
जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य
अधिशाषी अभियंता जन स्वा.अभि.विभाग	सदस्य
अधिशाषी अभियंता, सार्व.निर्माण विभाग	सदस्य
अधिशाषी अभियंता, विद्युत विभाग	सदस्य
उप निदेशक पशुपालन	सदस्य
संबंधित स्वयं सेवी संस्था का अध्यक्ष	सदस्य
जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
संबंधित विकास अधिकारी	सदस्य
समस्त आदर्श ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष	सदस्य

14–राज्य स्तरीय समिति:–

दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना के प्रोजेक्ट को अनुमोदन करने एवं योजना की क्रियान्विति की मोनिटरिगं करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जावेगा , जिसके आदेश पृथक से प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये जायेगें ।

मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
कृषि मंत्री	सदस्य
शिक्षा मंत्री	सदस्य
जन.स्वा.अभि. एवं सिचाई मंत्री	सदस्य
सार्व.निर्माण मंत्री	सदस्य
सहकारिता मंत्री	सदस्य
चिकित्सा मंत्री	सदस्य
मुख्य सचिव	सदस्य
अति.मुख्य सचिव (विकास)	सदस्य
अति.मुख्य सचिव (इन्फ्रास्टेक्चर)	सदस्य
संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव	सदस्य
शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज	सदस्य सचिव

15—योजना के वित्तीय प्रावधानः—

दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना के चयनित गांवों में आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाओं का विकास वहॉ चल रही विभिन्न विभागीय योजनाओं के उपलब्ध बजट प्रावधान में प्राथमिकता देकर किया जावेगा। इन साधनों के उपयोग के पश्चात् भी यदि ग्राम के समग्र विकास प्लान (वर्ष 2006—2009) के कार्यो को पूरा करने हेतु अतिरिक्त व्यय राशि की आवश्यकता होगी तो उसे योजना मद से उपलब्ध कराया जावेगा। इस प्रकार प्रथम चरण में वर्ष 2006—07 में 50 गांवों का चयन कर उन्हें आदर्श गांव बनाया जावेगा ।

16—योजना से अनुमानित प्रतिफलः—

दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना के सफल क्रियान्वयन से निम्नाकित प्रतिफलो का अनुमान लगाया गया हैः

16.1— ग्रामीण जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार ।

16.2— ग्राम समुदाय के सहयोग से समग्र आर्थिक एंव सामाजिक विकास ।

16.3— प्राकृतिक संसाधनो के नवीनीकरण से आजिविका में सुधार ।

16.4— शहरो की और पलायन में कमी ।

16.5— भविष्य में योजना के विस्तार के लिए अनुभव ।

परिशिष्ठ–'अ'

दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना हेतु चयन के लिए आवेदन–पत्र

1– ग्राम का नाम ————————————————

2– ग्राम पंचायत का नाम ————————————————

3– क्या ग्राम पंचायत के सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हैः– हॉ / नहीं

4– ग्राम पंचायत के कुल ———पंचों में से ————————पंच निर्विरोध निर्वाचित हुए है ।

5– पंचायत समिति ————————————जिला————————————

6– ग्राम की जनसंख्या एवं परिवारों का विवरण :–

क्र.सं.	श्रेणी	जनसंख्या	परिवारों की संख्या	बी.पी.एल. परिवारो की संख्या
1	अनुसूचित जाति			
2	अनुसूचित जनजाति			
3	अन्य पिछड़ी जाति			
4	सामान्य			
5	कुल			

7– ग्राम में स्नातकों की संख्या :–

8– ग्राम की कुल पशु संख्या :–

9– ग्राम की भूमि का क्षेत्रफल (है.में)

1–सिंचित भूमि
2–असिंचितभूमि
3–चारागाह भूमि
4–आबादी भूमि
5–अन्य भूमि
6–कुल भूमि

10–ग्राम में सार्वजनिक सुविधाऐं की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर टिप्पणी :–

1–विद्यालयों ————————————————————————
2–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र / उपकेन्द————————————————
3–पेयजल योजना ————————————————————————
4–पशु चिकित्सालय / उपकेन्द————————————————————
5–सहकारी समिति ————————————————————————
6–बैंक————————————————————————————
7–पोस्ट ऑफिस————————————————————————
8–दूरभाष सुविधा————————————————————————
9–सामुदायिक केन्द्र ————————————————————————
10–आंगनबाड़ी केन्द्र ————————————————————————
11–खेल मैदान————————————————————————————
12–आस–पास के ग्रामों से सम्पर्क सड़कें ————————————————
13–ग्राम की आबादी क्षेत्र में सी.सी.सड़क एवं नाली ————————————

11–ग्राम में विद्यालय जाने वाले बालकों/बालिकाओं का विवरणः–

1–कुल बालक——————————————————

2–विद्यालय जाने वाले कुल बालक ————————————————

3–कुल बालिकाऐं ——————————————————————

4–विद्यालय जाने वाली कुल बालिकाऐं ——————————————

12–ग्राम की पॉच प्रमुख सार्वजनिक आवश्यकताऍः–

1————————— 2————————

3————————— 4————————

5—————————

13–ग्राम के बी.पी.एल.परिवारों की संख्या —————————————

14–गत तीन वर्षो में एफ.आई.आर. दर्ज होने का विवरणः–

वर्ष	एफ.आई.आर. की संख्या
2003	
2004	
2005	

15–गांव को आदर्श बनाने का संकल्प ग्राम सभा में दिनांक ————————को सर्व सम्मति से लिया गया है । ग्रामीणों की सभागीता के लिए ग्राम पंचायत बचनबद्व है ।

संलग्नः–ग्राम सभा का संकल्प

ह0/– ह0/–

ग्राम सेवक सरंपच

ग्राम पंचायत —————— ग्राम पंचायत ——————

————————————————————————————————

मूल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् ————————————को प्रेषित है।

विकास अधिकारी

प.स.————————

परिशिष्ठ–'ब'

ग्राम सभा का प्रस्ताव संख्या ––––––––––––––––बैठक दिनांक.....

ग्राम सभा––––––––––सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित करती है कि चूँकिः–

1–ग्राम––––––––––के निवासी आदर्श ग्राम योजना हेतु ग्राम के चयन के लिए पूर्णतया सहमत हैं ।

2–ग्राम ––––––––के निवासी निम्नलिखित बिन्दूओं की पालना के लिए पूर्णतया सहमत हैः–

1–ग्राम में विवादों को स्थानिय स्तर पर आपसी समझोते से यथा–सम्भव निपटारा करने का संकल्प ।

2–चरागाह भूमि पर उसके एक भाग, जो एक चौथाई से कम न हो पशुओं की खुली चराई पर प्रतिबन्ध लगाना , उसमें चारा विकास एवं वृक्षारोपण करना।

3–ग्राम के रास्तों , आबादी भूमि एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग की सम्पति के अतिक्रमणों को तीन माह में हटवाना ।

4–पानी की प्रत्येक बूँद की बचत के लिए घरों में एवं सामुदायिक सुविधाओं में जल संग्रहण को अपनाना ।

5–ग्राम के प्रत्येक परिवार द्वारा प्रति माह दो दिवस का श्रमदान देना अथवा रू.150 प्रति माह देना, जो ग्राम की विकास योजनाओं में काम में ली जा सकें।

6– वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ।

7–बाल विवाह एवं मृत्यु भोज की कुप्रथा को रोकना ।

8–परिवार नियोजन को अपनाते हुए दो बच्चों तक ही परिवार को सीमित रखने का संकल्प ।

9– 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाना।

10–सभी बच्चों को टीकाकरण करवाना ।

11–संस्थागत प्रसव को अपनाना या ग्राम की प्रशिक्षित दाई से प्रसव करवाना।

12–सभी पात्र महिलाओं एवं बच्चों को आगंनगबाड़ी केन्द्रों पर भेजकर आवश्यक पोषाहार एवं सेवाये दिलवाना ।

13–आधुनिक कृषि तकनीकी अपनाने का संकल्प जिसमें वर्मि कम्पोस्ट, उन्नत बीज , उन्नत पौध तैयार करना व पानी का कुशलतम उपयोग हेतु फॅवारा सिंचाई , ड्रिप सिंचाई पद्वति को अपनाना ।

14–भविष्य में ग्राम की आबादी विस्तार के लिये ''मास्टर –प्लान'' तैयार कर उसी के अनुरूप विकास कराना ।

आवेदन पत्र एवं ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित किये जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप परिशिष्ठ–''अ'' पर संलग्न है ।

ह0/–
ग्राम सेवक
ग्राम पंचायत ––––––––––

ह0/–
सरंपच
ग्राम पंचायत –––

"दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम योजना"

बजट भाषण वर्ष 2006–07 मे योजना की घोषणा की गई थी। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में 50 गांवों एवं द्वितीय चरण में 100 गावों को आदर्श ग्राम बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2006–07 में चयनित 50 ग्रामों एवं वर्ष 2007–08 में 100 ग्रामों के लिये 3 वर्षीय विकास प्लान (प्रत्येक ग्राम का 3 वर्षीय प्लान वर्ष 2007–08, 2008–09, 2009–2010) जिला परिषदों से तैयार करवाये गये।

योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण वर्ष 2006–07 में रूपये 750.00 लाख के प्रावधान से 50 आदर्श ग्राम एवं द्वितीय चरण में वर्ष 2007–08 के लिये इस योजना में रुपये 1500.00 लाख के प्रावधान से 100 आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वित्त विभाग द्वारा राशि रुपये 1500.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किश्त के रुप में राशि रुपये 750.00 लाख जिला परिषदों के पी0डी0 खातो में हस्तानन्तरण किया गया था। द्वितीय किश्त की राशि रुपये 750.00 लाख के आवंटन हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने पर उनके द्वारा अवगत करवाया है कि वर्ष 2009–10 में इस योजना हेतु कोई प्रावधान नही रखा गया है।

वर्ष 2007–08 के प्रारम्भ/ प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण करने हेतु राशि की मांग जिलों से की जाने लगी। अतः वर्ष 2006–07 एवं वर्ष 2007–08 मे जिलों को आवंटित राशि से प्रारम्भ/ प्रगतिरत कार्यो को पूर्ण कराने पश्चात जिलों की अवशेष रही राशि को जिन जिलों मे राशि की मांग की जा रही है को हस्तानान्तरित करने से आपूर्ति हो सकेगी, को ध्यान मे रखते हुऐ समस्त जिलों से सूचना प्राप्त कर संकलित की गई है। तद्नुसार मांग कर रहे जिलों को राशि हस्तानान्तरित हेतु सक्षम स्तर से निर्णय लिये जाने की कार्यवाही प्रकियाधीन हैं।